# मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग

चतुर्थ एवं पंचम तल, ''मेट्रो प्लाजा'' बिट्टन मार्केट, ई–5, अरेरा कॉलोनी,
भोपाल – 462 016

## भोपाल, दिनांक : 16 जनुवरी 2009

क्रमांक –128– म.प्र.वि.नि.आ. – 09, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181(1) और धारा 91(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा म.प्र. राजपत्र में दिनांक 2 जुलाई, 2004 को अधिसूचित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (परामर्शी की नियुक्ति) विनियम, 2004 को पुनरीक्षित करता है ।

## मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (परामर्शी की नियुक्ति) (पुनरीक्षण–प्रथम) विनियम, 2009

1. **विनियम का शीर्षक तथा प्रारंभ :** (1) ये विनियम **''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (परामर्शी की नियुक्ति) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 (आरजी–6(1), वर्ष 2009)''** कहलायेंगे ।

(2) ये विनियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की दिनांक से प्रभावशील होंगे ।

(3) इन विनियमों का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य होगा ।

2. **परिभाषाएं :**

2. (1) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, तब तक इन विनियमों में :

(क) **'अधिनियम'** से अभिप्रेत है, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003);

(ख) **'आयोग'** से अभिप्रेत है, अधिनियम के अंतर्गत स्थापित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग;

(ग) **'अध्यक्ष'** से अभिप्रेत है, आयोग का अध्यक्ष;

(घ) **'सदस्य'** से अभिप्रेत है, आयोग का सदस्य;

(ड़) **'सचिव'** से अभिप्रेत है, आयोग का सचिव;

(च) **'अधिकारी'** से अभिप्रेत है, आयोग का कोई अधिकारी;

(छ) **'परामर्शी'** में सम्मिलित है कोई व्यक्ति, फर्म, निकाय या व्यक्तियों का संघ, जो कि आयोग के नियोजन में नहीं है, जिसे या जिनमें किसी विशिष्ट ज्ञान, अनुभव या कौशल हो या उसकी पहुंच हो । परामर्शी में वरिष्ठ परामर्शी तथा सलाहकार भी सम्मिलित हैं;

(ज) **'राज्य सरकार'** से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सरकार ।

2 (2) इन विनियमों में प्रयुक्त शब्द या अभिव्यक्तियाँ जिन्हें यहां परिभाषित नहीं किया गया है, वही अर्थ रखेंगी जैसा कि अधिनियम में इनके संबंध में दर्शाया गया है ।

**3. कार्य का विस्तार –**

परामर्शी की नियुक्ति सामान्यतः नियमित दैनिक कार्य के लिए नहीं की जावेगी जिसके लिए पदाधिकारी उपलब्ध हैं ।

(1) परामर्शी को केवल विशिष्ट कार्यों के निष्पादन हेतु वचनबद्ध किया जाएगा, जहां कार्यों की प्रकृति विशिष्ट और समय–बद्ध हो तथा जिन हेतु बाह्य सहायता की आवश्यकता हो ।

(2) प्रत्येक प्रकरण में वचनबद्धता (अभिनियुक्ति) के विस्तृत निबंधन तैयार किए जाएंगे और परामर्शिता स्वीकृत करने के पूर्व इन पर परामर्शी तथा आयोग के बीच सहमति ली जायेगी ।

(3) वचनबद्धता के निबंधनों में परामर्शी द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्य की निश्चित प्रकृति विनिर्दिष्ट होगी, प्रत्येक कार्य को पूर्ण किये जाने हेतु अनुज्ञेय समय सीमा दर्शाई जावेगी तथा प्रत्येक कार्य के संबंध में परामर्शी द्वारा प्रदाय किये जानें वाला विनिर्दिष्ट उत्पादन (Output) दर्शाया जावेगा ।

**4. वचनबद्धता की कालावधि :**

परामर्शी अपेक्षित न्यूनतम कालावधि के लिए वचनबद्ध होगा । किसी भी मामले में वचनबद्धता की कालावधि अधिकतम एक वर्ष से अधिक की नहीं होगी । किन्हीं न्यायोचित कारणों के आधार पर, संविदा का विस्तार छः माहों की कालावधि के लिए दिया जा सकेगा, जो कि ऐसी संविदाओं के विरूद्ध केवल दो बार होगा ।

**5. परामर्शी का वर्गीकरण :**

(1) वैयक्तिक परामर्शी को सलाहकार, वरिष्ठ परामर्शी और परामर्शी के तीन स्तरों में से किसी एक में उनकी विशेषज्ञता तथा अनुभव पर आधारित निम्न तालिका के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा :

| | | **न्यूनतम अनुभव के वर्षों की संख्या** |
|---|---|---|

| शास्त्र विद्या | न्यूनतम योग्यता | सलाहकार | वरिष्ठ परामर्शी | परामर्शी |
|---|---|---|---|---|
| अर्थशास्त्र | मास्टर डिग्री (स्नातकोत्तर उपाधि) | 18 | 12 | 10 |
| अभियांत्रिकी | बी.ई.या समकक्ष | 18 | 12 | 8 |
| वित्त | सीए/एमबीए (वित्त)/ सीडब्ल्यूए,सीएफए/ वाणिज्य में स्नातकोत्तर उपाधि | 18 | 10 | 5 |
| विधि | विधि की डिग्री (स्नातक उपाधि) | 18 | 12 | 10 |

(2) यदि कोई परामर्शी संबंधित विषय में पीएच.डी. (Ph.D) उपाधि का धारक है तो ऐसी दशा में आयोग न्यूनतम वांछित अनुभव की अवधि में तीन वर्षो की छूट प्रदान कर सकेगा ।

**6. शुल्क तथा अन्य प्रभार :**

(1) मासिक आधार पर अभिनियुक्त परामर्शी को समेकित पारिश्रमिक भुगतान किया जावेगा, जिसे कि आयोग द्वारा समय–समय पर विनिश्चित किया जावे जो कि पच्चीस हजार रूपये प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा । परामर्शी को समस्त कार्य दिवसों पर उपस्थित रहना अनिवार्य होगा ।

(2) दैनिक आधार पर सेवाओं के लिए, प्रति दिवस का पारिश्रमिक इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि दैनिक दर पर वचनबद्धता सामान्यतः एक माह में 10 कार्य दिवसों से अधिक के लिए नहीं होगी और एक वर्ष में 90 कार्य दिवसों से अधिक नहीं होगी, के अनुसार निम्नलिखित होगी :

| श्रेणी | प्रतिदिवस का पारिश्रमिक (रूपयों में) |
|---|---|
| सलाहकार | 2,500/– |
| वरिष्ठ परामर्शी | 1,500/– |
| परामर्शी | 1,000/– |

(3) संस्थागत परामर्शियों के मामले में सामान्यतः दर प्रतियोगी बोली के माध्यम से यथा अवधारित होगी । अपवादित मामलों में जहाँ एकल स्त्रोत चयन खण्ड 13 में वर्णित कारणों से अपेक्षित हो, व्यक्तिगत परामर्शियों के भिन्न–भिन्न स्तरों की दरें प्रस्तावों में परामर्शी समय की आवंटित लागत की औचित्य के अवधारण में उपयोग की जाएगी । इस प्रकार प्राप्त परामर्शी समय की लागत के ऊपर अधिकतम 10

प्रतिशत राशि, ऊपरी कार्यालयीन व्ययों के लिए अनुज्ञेय की जावेगी । परामर्शी समय की लागत के 10 प्रतिशत की अतिरिक्त सीमा तक का व्यय आकस्मिता राशि के अन्तर्गत भुगतान योग्य होगा । यात्रा व्यय, जहाँ कहीं अपेक्षित हों, आयोग द्वारा अनुमोदित दरों पर देय होंगे ।

(4) परामर्शियों को, जब तक आयोग द्वारा अनुज्ञेय न किया जाए, आयोग के साथ उसके मुख्यालय पर कार्य करना होगा । जहाँ कहीं परामर्शी को कार्यालयीन यात्रा और कúाव्य के सामान्य स्थान से दूर स्थान पर ठहरने पर व्यय उपगत किया जाना हो तो आयोग एक मुश्त में अतिरिक्त खर्चों की अनुज्ञा देकर मंहगाई भत्ते की क्षतिपूर्ति करेगा । दिवसों की संख्या जिन पर यह एक मुश्त राशि देय होगी प्रत्येक प्रकरण में समुचित रूप से अवधारित की जावेगी । यात्रा की लागत की प्रतिपूर्ति, यात्रा के किसी समुचित वर्ग द्वारा जैसा कि आयोग द्वारा विनिश्चित की जावे, पृथकतः की जावेगी ।

(5) देय फीस के संबंध में ये विनियम परामर्शी के रूप में लगे भूतपूर्व तथा सेवा–निवृत्त शासकीय कर्मचारियों पर भी लागू होंगे ।

**7. परामर्शियों की नियुक्ति**

(1) विशिष्ट कार्यों के संबंध में परामर्शियों की नियुक्ति के लिए वचनबद्धता शर्तें (Terms of Reference) आयोग द्वारा तैयार की जावेंगी और अनुमोदित की जावेंगी ।

(2) वचनबद्धता शर्तों में वर्णित सेवाओं का विस्तार क्षेत्र उपलब्ध बजट के साथ सुसंगत होगा । इस प्रकार आवंटित किये गये कार्य की आवश्यकता ही कार्य का विस्तार–क्षेत्र विनिश्चित करेगी ।

(3) आयोग, तकनीकी एवं वित्त प्रस्ताव संयुक्त रूप से या तकनीकी और वित्त प्रस्ताव पृथक–पृथक आमंत्रित करने का निर्णय कर सकेगा ।

(4) आयोग द्वारा वचनबद्धता शर्तों के अनुमोदन के पश्चात् ही सचिव इच्छुक परामर्शियों से प्रस्ताव आमंत्रित करेगा यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक प्रकरण में समुचित प्रचार–प्रसार किया गया है । तथापि, ऐसे प्रकरणों में जहां अनुमानित शुल्क (Fees) दो लाख रूपये से कम है सार्वजनिक विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया अपनाया जाना आवश्यक नहीं होगा । आयोग आवेदन या प्रस्ताव या नामांकन ऐसे व्यक्तियों, फर्मों, कम्पनियों, व्यक्तियों के संघों, निकायों तथा संस्थाओं से बुला सकेगा जैसा कि

आयोग उचित समझे । इस संबंध में आयोग का निर्णय अन्तिम एवं बन्धनकारी होगा ।

8. **प्रस्तावों हेतु निवेदन :**

प्रस्तावों बाबत् निवेदन में निम्नलिखित सम्मिलित होगा :—

(1) आमंत्रण पत्र जिसमें आयोग इस आशय का उल्लेख करते हुए कि आयोग परामर्शी सेवाओं के लिये अनुबंध करने का इच्छुक है, उसे, प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु तिथि समय तथा पते का उल्लेख करेगा ।

(2) परामर्शियों को प्रदाय की जाने वाली जानकारी में ऐसी सभी आवश्यक जानकारियां समाविष्ट होंगी जो कि मूल्यांकन प्रक्रिया की जानकारी देते हुए उत्तर देने योग्य प्रस्तावों को तैयार करने में परामर्शियों की सहायता करेंगी और मूल्यांकन मानदण्डों तथा कारकों तथा उनके तत्संबंधी भारों तथा न्यूनतम पूर्व अर्हता गणक को दर्शाते हुए सहायक होगा ।

(3) वचनबद्धता शर्तें उद्देश्यों, लक्ष्यों और आवंटित किये जाने वाले कार्य का क्षेत्र को परिभाषित करने हेतु तैयार की जावेगी तथा इसमें ऐसी पृष्ठभूमि की जानकारी प्रदान की जावेगी, जिसमें विद्यमान सुसंगत अध्ययनों की सूची और आधारभूत आंकड़े उनके प्रस्तावों को तैयार करने में परामर्शियों की सुविधा के लिए सम्मिलित किये जावेंगे । यदि ज्ञान का अंतरण तथा प्रशिक्षण देना वचनबद्धता शर्तों का उद्देश्य हो तो इसमें प्रशिक्षित किये जाने वाले पदाधिकारियों की संख्या का विवरण प्रदान किया जावेगा । वचनबद्धता शर्तों में आवंटित कर्ú व्यभार को कार्यान्वित करने के लिए सेवाओं की सूची और वांछित सर्वेक्षण और वचनबद्धता शर्तों के प्रत्येक कार्य से संबंधित अपेक्षित उत्पादनों (उदाहरणार्थ प्रतिवेदन, आंकड़े, सर्वेक्षण, आदि) को सूचीबद्ध किया जावेगा ।

(4) संविदा का प्रारूप अनुसूची–I के अनुसार होगा ।

9. **प्रस्तावों की प्राप्ति :—**

(1) परामर्शियों को उनके प्रस्तावों को तैयार करने तथा प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय अनुज्ञेय किया जाएगा जो कि सामान्यतः प्रस्ताव हेतु निवेदन की प्रकाशन तिथि से 21 दिवस से कम का नहीं होगा तथा इस अवधि के दौरान फर्में वचनबद्धता शर्तों में प्रदान की गई सूचना के बारे में स्पष्टीकरण मांग सकेंगी ।

(2) आयोग, प्रस्तावों के प्रस्तुतीकरण के लिए निर्धारित समय–सीमा में विस्तार किये जाने का निर्णय विनिश्चय, जैसा कि आयोग द्वारा समुचित समझा जाए, कर सकेगा ।

(3) निर्धारित समय–सीमा निकल जाने के पश्चात्, तकनीकी या वित्तीय प्रस्तावों में कोई भी संशोधन आयोग द्वारा नियुक्त की गई संधि–वार्ता समिति (Negotiating Committee) के समक्ष प्रस्तुति के सिवाय स्वीकार नहीं किया जायेगा । प्रस्तावों को सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत किया जायेगा। जहां आयोग यह विनिर्दिष्ट करता हो कि पृथक तकनीकी और वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएं वहाँ उन्हें पृथक–पृथक सीलबंद लिफाफों में प्रस्तुत किया जायेगा ।

**10. तकनीकी मूल्यांकन :**

(1) आयोग प्रत्येक परामर्शी आवंटन–योग्य कार्यभार (assignment) हेतु अर्हकारी तकनीकी, वाणिज्यिक तथा अनुभव मानदण्ड विनिर्दिष्ट करेगा तथा ऐसे समस्त प्रकरणों में जहां आयोग पृथक–पृथक तकनीकी तथा वित्तीय प्रस्ताव आमंत्रित करने का निर्णय लेता है, वहां केवल उन्हीं परामर्शी फर्मों के वित्तीय प्रस्ताव खोले जावेंगे जो किसी विशिष्ट आवंटन–योग्य कार्य हेतु आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट निम्नानुसार तकनीकी अर्हकारी अपेक्षाओं की आपूर्ति करते हैं :

(अ) **तकनीकी मूल्यांकन** – तकनीकी मूल्यांकन निम्नलिखित मानदंडों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा । प्रत्येक मानदण्ड 1 से 100 तक के परिमाण (Scale) पर चिन्हित रहेगा और प्रत्येक मानदण्ड के अंक औसत तकनीकी अंक होने के लिए भारित किये जाएंगे । निम्नलिखित श्रेणियों में भार आयोग के अनुमोदन पश्चात् तकनीकी समिति द्वारा प्रत्येक प्रस्ताव के लिए भारित औसत तकनीकी अंक की गणना के लिए उपयोग में लाए जाएंगे ।

| **मानदण्ड** | **भारों की सीमा** |
|---|---|
| आवंटन–योग्य कार्य (assignment) हेतु परामर्शी का सुसंगत अनुभव | 0.10 से 0.20 |
| प्रस्तावित कार्य पद्धति की गुणवत्ता | 0.20 से 0.50 |
| प्रस्तावित प्रमुख स्टॉफ की अर्हताऐं | 0.60 से 0.30 |

आयोग के पदाधिकारियों को ज्ञान के अंतरण की सीमा 0.10 से 0.00

---

**टिप्पणी :–** आयोग द्वारा अनुमोदित भारों के मिश्र का योग एक तक होना चाहिए।

(i) सामान्य अर्हताएं : सामान्य शिक्षा तथा प्रशिक्षण, अनुभव की अवधि, धारित पद, स्टॉफ के रूप में फर्म के साथ परामर्श की समयावधि, विकासशील देशों में अनुभव, आदि ।

(ii) आवंटन योग्य कर्यव्यभार हेतु पर्याप्तता : शिक्षा, प्रशिक्षण, विशिष्ट क्षेत्र में अनुभव, क्षेत्र का विषय और विशिष्ट कर्यव्यभार प्रति सुसंगतता ।

(iii) क्षेत्रीय अनुभव : प्रशासनिक पद्धति का ज्ञान, स्थानीय/क्षेत्रीय स्तर पर संगठन तथा संस्कृति का ज्ञान ।

(ब) जहां आवंटन–योग्य कार्यभार, प्रमुख स्टॉफ के अनुपालन पर निर्भर करता हो वहां प्रस्ताव, नियुक्ति के लिए प्रस्तावित व्यक्तियों की अर्हताओं पर निम्नलिखित मानदण्डों को प्रयोग में लाते हुए मूल्यांकित किया जाऐगा :–

(2) वे परामर्शी फर्में जो न्यूनतम तकनीकी अर्हकारी अंको की पूर्ति करती हैं, जैसा कि आयोग द्वारा निर्णय लिया जावे, उन्हें वित्तीय प्रस्ताव खोलने की तिथि तथा समय से अवगत कराया जावेगा । ऐसी परामर्शी फर्मो को, वित्तीय प्रस्ताव खोलने के समय उपस्थित रहने हेतु, यदि वे इच्छुक हों, पर्याप्त समय दिया जावेगा । ऐसे परामर्शियों के प्रकरण में जिनके प्रस्ताव न्यूनतम अर्हकारी स्तर की पूर्ति नहीं करते अथवा वचनबद्धता शर्तों हेतु अप्रत्युत्तरकारी (No-responsive) समझे गये थे, उनके वित्तीय प्रस्ताव चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त बिना खोले वापस कर दिये जावेंगे ।

**11. वित्तीय मूल्यांकन :–**

(1) पूर्व अर्हित उन परामर्शियों के वित्तीय प्रस्ताव जिनकी बोलियों को वित्तीय मूल्यांकन के लिए चयनित किया गया है, उनके प्रस्ताव समिति द्वारा परामर्शियों या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोले जाएंगे। प्रस्तावित मूल्यों को पढ़ा जाएगा। विवरणों को कार्यवाही के कार्यवृत्त में अभिलिखित किया जाएगा ।

(2) वित्तीय प्रस्तावों की समीक्षा की जावेगी । अंक–गणितीय त्रुटियों (Arithmetical Errors) को शुद्ध किया जाएगा । मूल्य को, समरूप विक्रय (विनिमय) दरों का उपयोग करते हुए, एकल करेंसी में परिवर्तित किया जाएगा ।

(3) न्यूनतम वित्तीय मूल्य प्रस्तुत करने वाली परामर्शी फर्म को संविदा प्रदान की जावेगी ।

(4) आयोग न्यूनतम वित्तीय बोली प्रदायकर्ता के साथ संधिवार्ता के निष्पादन हेतु एक संधिवार्ता–समिति नियुक्त कर सकेगा । ऐसे प्रकरण में जहां न्यूनतम बोली–प्रदायकर्ता निर्धारित समयावधि में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता हो तो आयोग द्वितीय न्यूनतम बोली प्रदायकर्ता को आमंत्रित कर सकेगा तथा यह प्रक्रिया अगले बोली–प्रदायकर्ताओं हेतु भी जारी रखी जा सकेगी ।

(5) आयोग समस्त प्रस्तावों को निरस्त कर सकेगा यदि वे अप्रत्युत्तकारी (unresponsive) अथवा अनुपयुक्त इस कारण से पाये जाते हैं कि वे वचनबद्धता शर्तों का परिपालन उनमें महत्वपूर्ण कमियों के प्रदर्शित होने के कारण नहीं करते अथवा उनमें सन्निहित लागत मूल प्राक्कलन से उल्लेखनीय रूप से काफी अधिक है ।

**12. वैयक्तिक परामर्शियों का चयन :–**

(1) वैयक्तिक परामर्शी ऐसे कर्यव्यभारों (Assignments) हेतु नियोजित किये जायेंगे जिनके लिये कार्मिकों के दलों की आवश्यकता न हो, कोई अतिरिक्त बाहरी (गृह/कार्यालय) व्यावसायिक सहायता अपेक्षित न हो और जहां व्यक्ति का अनुभव और अर्हताएं सर्वोपरि अपेक्षित हों ।

(2) कर्यव्यभार के लिये वैयक्तिक परामर्शियों का चयन कार्य की अर्हताओं के आधार पर किया जावेगा । उनका चयन परिचय या कार्य में रूचि प्रकट कर रहे व्यक्तियों की अर्हताओं की तुलना के माध्यम से या आयोग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सम्पर्क द्वारा किया जा सकेगा । उनकी योग्यता का निर्णय उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि, समुपयुक्त अनुभव और स्थानीय परिस्थितियों, प्रशासनिक पद्धति व शासकीय संगठन के संज्ञान के आधार पर लिया जावेगा ।

**13. अन्य शर्तें तथा निर्बंधन –**

(1) परामर्शियों को किसी ऐसे कर्यव्यभार (assignment) हेतु, जो अन्य परामर्शियों के साथ उनके पूर्व या वर्तमान दायित्वों से टकराते हों या उनको ऐसी स्थिति में रख देते हों जिससे वे कार्य को उद्देश्यपरक और निष्पक्ष रूप से करने में समर्थ न हो सकें, भाड़े पर नहीं लिया जाएगा ।

(2) परामर्शी आयोग के अध्यक्ष या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगा किन्तु उसका स्वतंत्र व्यावसायिक विशेषज्ञ अभिमत प्रस्तुत करने का दायित्व होगा ।

(3) परामर्शी उसका/उनका प्रतिवेदन/सलाह, अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा/करेंगे ।

(4) परामर्शी, अधिनियम या नियमों या विनियमों की शब्दावली अनुसार आयोग का अधिकारी नहीं होगा किन्तु समेकित पारिश्रमिक और इन विनियमों में दी गई अन्य शर्तों के अतिरिक्त परामर्शी की नियुक्ति की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि आयोग द्वारा विनिश्चित की जाएं ।

(5) आयोग के विनियमों और आदेशों के अनुपालन की दशा में, आयोग अधिनियम, नियमों और विनियमों के उपबंधों के अध्यधीन यथोचित कार्यवाही करेगा ।

(6) आयोग का उसके सम्पूर्ण विवेकाधीन, किसी परामर्शी को नियुक्त करने या सेवाएं समाप्त करने या किसी परामर्शी की सेवा की शर्तों में कटौती करने या विस्तार करने का पूर्ण और अनिर्बाधित अधिकार होगा ।

**14. आयोग की अंतर्निहित व्यावृत्ति –**

आयोग को इन उपबंधों की कोई भी बात किसी ऐसी प्रक्रिया को अंगीकार करने से बाधित नहीं करेगी जो इन विनियमों के किन्हीं उपबंधों से असंगत है । यदि आयोग मामले या मामले के वर्ग की विशेष परिस्थितियों में यदि आवश्यक हो तो लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से विनियमों में विहित प्रक्रिया से हट सकेगा ।

**15. संशोधन करने की सामान्य शक्ति :**

आयोग किसी भी समय और ऐसी शर्तों पर जिन्हें वह उचित समझे, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के प्रयोजन के लिये जिनके लिये ये विनियम विरचित किये गये हैं, इन विनियमों के किन्हीं उपबंध को संशोधित कर सकेगा ।

**16. कठिनाईयों दूर करने की शक्ति :–**

यदि इन विनियमों के किन्हीं उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती हो तो आयोग को सामान्य या विशेष आदेश द्वारा आधिनियम के उपबंधों से अनसंगत न होते हुए कोई भी कार्य कर सकेगा जो कठिनाईयों को दूर करने के प्रयोजन के लिये आवश्यक या समीचीन हो ।

**टीप :– म.प्र.विनिआ (परामर्शी की नियुक्ति) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009** के हिन्दी रूपांतरण के प्रावधानों की व्याख्या या विवेचन या समझने की स्थिति में किसी प्रकार का विरोधाभास होने पर इसके अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) के संबंधित प्रावधानों में दी गई विवेचना के अनुसार ही उसका तात्पर्य माना जावेगा एवं इस संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकर होगा ।

आयोग के आदेशानुसार

अशोक शर्मा, आयोग सचिव

## अनुसूची – एक

आज दिनांक ..... को ..... एक भाग के पक्षकार और मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग दूसरे भाग (जो एतद् पश्चात् आयोग कहा जावेगा) के बीच यह अनुबंध अनुच्छेद किया गया । अतः आयोग ने प्रथम भाग के पक्षकार को परामर्शी के रूप में विनियुक्त किया है और प्रथम भाग का पक्षकार आयोग को इसमें इसके पश्चात् अंतर्विष्ट शर्तों पर परामर्शी सेवा उपलब्ध कराने के लिये सहमत है ।

अतएव उपस्थित साक्षियों और पक्षकारों की उपस्थिति में निम्नानुसार सहमत है :–

(1) प्रथम भाग का पक्षकार स्वयं को आयोग के आदेश के अधीन और उन अधिकारियों और प्राधिकारियों के अधीन रखेगा जिनके अधीन आयोग द्वारा समय–समय पर उसे रखा जाए ।

(2) प्रथम भाग का पक्षकार – से प्रारंभ होने वाली – की कालावधि के भीतर उपाबंध 'क' में यथा अंतर्विष्ट कर्तव्य भार पूर्ण करेगा ।

(3) प्रथम भाग के पक्षकार को निम्नानुसार भुगतान किया जायेगा :–

(4) भुगतान अनुसूची निम्नानुसार होगी :–

(5) आवंटित कर्तव्यभार (Assignments) परामर्श से सुसंगत स्थानीय यात्रा के लिये प्रथम भाग के पक्षकार को कोई भी यात्रा भत्ता मंहगाई भत्ता अनुज्ञेय नहीं होगा ।

(6) प्रथम भाग का पक्षकार किसी अप्राधिकृत व्यक्ति को ऐसी कोई जानकारी या आंकड़े प्रकट नहीं करेगा जो आयोग द्वारा या आयोग के निर्देश के अधीन किसी अन्य संगठन द्वारा उसे प्रदाय किये जाएं । ऐसे समस्त अभिलेख या कोई जानकारी जो आवंटित कर्तव्यभार के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसके संज्ञान में आए वह आयोग की संपत्ति होगी ।

(7) प्रथम भाग का पक्षकार वचन देता है कि यह आवंटित कर्तव्यभार किसी अन्य परामर्शी के साथ उसके पूर्व या वर्तमान दायित्व से प्रतिकूल नहीं होगा और न ही उसे ऐसी स्थिति में रखेगा जिसमें वह अपने कर्तव्यभार को उद्देश्यपरक और निष्पक्षता से न कर सके ।

(8) इसमें ऊपर दिये पक्षकारों के बीच तय की गई समय–सीमा के भीतर आवंटित कर्ाव्यभार पूर्ण न करने में प्रथम भाग के पक्षकार की ओर से व्यतिक्रम की दशा में द्वितीय भाग के पक्षकार को प्रथम भाग के पक्षकार के जोखिम और खर्चे पर किसी अन्य एजेन्सी से कार्य पूर्ण करवाने की स्वतंत्रता होगी ।

(9) अनुबंध से उद्भूत होने वाले पक्षकारों के बीच किसी मतभेद या विवाद की दशा में उसे आयोग द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति के पास मध्यस्थता के लिये निर्दिष्ट किया जाएगा । ये कार्यवाहियाँ समय–समय पर यथा संशोधित माध्यस्थम और सुलहकारी अधिनियम 1996 के अध्यधीन रहेंगी ।

(10) प्रथम भाग के पक्षकार को शुल्क (फीस) का भुगतान आयोग द्वारा तत्सयम प्रवृत्त विधि के अनुसार स्त्रोत से कर की कटौती के पश्चात् किया जाएगा ।

(11) आयोग बिना कारण बताए परामर्शी की विनियुक्ति के परिरोधन (Foreclose) समाप्त या रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है । ऐसे मामलों में प्रथम भाग के पक्षकार को पारिश्रमिक का भुगतान ऐसे परिरोधन, समाप्ति या समाप्ति या रद्दकरण के पूर्व पूर्ण किये गए कार्य के भाग को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा किया जाएगा और आयोग का विनिश्चय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा । इस प्रकार निश्चित किया गया और भुगतान किया गया पारिश्रमिक ऐसे मामलों में अंतिम भुगतान समझा जाएगा ।

(12) यदि किसी ऐसे मामले में जिसके लिये इस अनुबंध में कोई उपबंध न किया गया हो तो ऐसी दशा में परामर्शियों की विनियुक्ति के विषय पर सरकार के सामान्य अनुदेशों में अन्तर्विष्ट उपबंध लागू होंगे ।

साक्षियों की उपस्थित में प्रथम भाग के पक्षकार और आयोग की ओर से ..... ने ऊपर लिखित दिनांक एवं स्थान पर हस्ताक्षर किसी ..... की उपस्थिति में प्रथम भाग के पक्षकार के लिए ..... द्वारा हस्ताक्षर किया गया ।

प्रथम भाग के पक्षकार ..... हेतु ..... द्वारा ..... (साक्षी) की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये गये ।

आयोग की ओर से ..... पदनाम ..... द्वारा ..... (साक्षी) की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये गये ।

:———: